(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 04/2021

रजिस्ट्रेशन नं0 :– 2021/404

बउनवान

1– दीपिका पारेता आयु 42 वर्ष पत्नी संजय पारेता जाति कलाल निवासी हरनावदाशाहजी हाल सरपंच ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

2– देवलाल नागर आयु 50 वर्ष पुत्र धन्ना लाल नागर जाति धाकड निवासी ग्राम ढोलम तहसील छीपाबडौद हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हरनारवदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(निगरकार)

बनाम

बृजराज सिंह हाडा पुत्र देवी सिंह हाडा राजपूत निवासी हरनावदाशाहजी तह0 छीपाबडौद जिला बारॉ

(गैरनिगरकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92–97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :– 1– श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक **(निगराकार)**

2– श्री धर्मेन्द्र सिंह सोलंकी अभिभाषक **(गैरनिगराकार)**

निर्णय दिनांक 14.07.2022

राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार सरकार श्री चन्द्र प्रकाश मीणा अभिभाषक जिला बारॉ द्वारा निगरानी अन्तर्गत धारा 92–97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी के आबादी भूमि पट्टा संख्या 5626 दि. 06.06.2011 व नवीनीकरण दिनांक 21.03.2016 की संकल्प संख्या 3 की अनुपालना मे दिनांक 11.04.2016 को गैरनिगराकार के नाम से आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 22 जारी किया गया जिसका माप 54 x 52 फुट है जिससे अप्रसन्न होकर निगरानी विरूद्व गैर–निगराकार के इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत निगरानी दिनांक 08.12.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर–निगराकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ सचिव ग्राम पंचायत, हरनावदाशाहजी से मूल रिकार्ड तलब किया गया जो उनके पत्रांक 189 दिनांक 24.01.2022 से इस न्यायालय मे प्राप्त हुआ। गैर–निगराकार द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:38:48 IST
Reason: SelfAttested

निगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि

1. गैरनिगराकार ने दिनांक 06.06.2011 को प्रस्तावित किता माप 1808 वर्गफीट का पट्टा नवीनीकरण करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर ग्राम हरनावदाशाहजी के वार्ड नं0 11 आबादी क्षेत्र में बताकर उक्त मकान का पट्टा संख्या 5626 बुक नं0 122 जारी करवाया था, जिस बाबत गैरनिगराकार ने मकान के पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु शपथ पत्र ब्ल्यु प्रिन्ट पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर तीन वार्ड पंचो के हस्ताक्षर प्रमाणित है परन्तु ग्राम पंचायत सरपंच के हस्ताक्षर कही भी अंकित नही है। जिस पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा नोटिस

जारी करने की तारीख एक माह के भीतर अपने आक्षेप फाईल कर देने चाहिये थे, जो कि मियाद गुजरने के बाद पेश किये गये। जिस पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा दिनांक 05.04.2016 को आयोजित बैठक मे पंचायत कोरम द्वारा उक्त प्रकरण मे निर्णय किया गया कि बृजराज सिंह हाडा का पुश्तैनी मकान है जिसका पूर्व मे पट्टा जारी हो रहा है इसलिए नवीनीकरण किया जावे।

2. दिनांक 11.04.2016 को ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी मे दिनांक 04.05.2016 को आयोजित ग्राम पंचायत कोरम के निर्णय के उपरान्त बृजराज सिंह हाडा पुत्र देवी सिंह हाडा जाति राजपूत दिनरांक 11.04.2016 को पुश्तैनी मकान का नवीनीकरण पट्टा जारी किया गया और रसीद शुल्क प्राप्त की।

3. दिनांक 01.02.2018 को सहायक लेखा अधिकारी जांच दल द्वारा उक्त पत्रावली की जांच करने पर निधि अंकेक्षण विभाग, कोटा के पत्र कमांक/ऑडिट/2012–17/709 दिनांक 01.12.2018 द्वारा उक्त भूमि का पट्टा मापदण्डो के अन्तर्गत ना जारी कर अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने की पुष्टि सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी को निर्देशित करने पर ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा उक्त पट्टा की जांच करवाने पर निर्धारित मापदण्ड नियम 157 (11) के तहत केवल 300 वर्गगज तक पट्टा जारी करने का प्रावधान है। किन्तु गैरनिगराकार को अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया गया। जिसकी अलग से डी0एल0सी0 दल जारी किये जाने का प्रावधान है क्योंकि नियम 2004 के नियम 58 के ख 3 (क) के अन्तर्गत डी0एल0सी0 दर से 25 प्रतिशत राशि वसूल करने योग्य है। इस बाबत ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा बृजराज सिंह हाडा को समय–समय पर नोटिस जारी किये गये जिनका कोई जवाब नही दिया एवं दिनांक 19. 11.2021 को ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी की मीटिंग कार्यवाही के समय उपस्थित हाने पर अवगत कराया कि आपकी तरफ कानूनी रूप से अधिक भूमि का पट्टा जारी करवाने के बारे मे ऑडिट वसूली राशि 1,80,800/– रूपये जमा करवाई जावे तो गैरनिगराकर उपस्थित था जिसने उक्त राशि जमा करवाने से साफ मना कर दिया। इस कारण उक्त पट्टा दिनांक 06.06.2011 नवीनीकरण दिनांक 21.03.2016 को निरस्त किया जाना विधि संगत एव न्यायहित मे होगा।

4. गैरनिगराकार द्वारा उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन नही करवाया है क्योकि वर्ष 2016 से पूर्व के जारी पट्टों का नवीनीकरण ग्राम पंचायत द्वारा किया। इसलिये गैरनिगराकार से बकाया राशि 1,80,800/– रूपये जमा करवाया जाना आवश्यक है या पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है।

5. ग्राम पंचायत की कार्यवाही बैठक दिनांक 19.[illegible] को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पट्टाधारी से उक्त [illegible] राशि जमा नही करवाने पर पट्टा निरस्त हेतु ग्राम पंचाय[illegible] दिनांक 2[illegible]2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति, छीपाबडौद द्वारा ग्राम [illegible] पट्टा निरस्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके बाद दिनांक 22.[illegible]2021 को विकास अधिकारी पंचायत समिति छीपाबडौद द्वारा वित्तीय सलाहकार पंचायती राज जयपुर को भी पत्र प्रेषित किया गया जिसमे भी पट्टा निरस्त करने हेतु कार्यवाही पेश करने का अनुरोध किया गया। इसलिए गैरनिगराकार द्वारा उक्त आबादी भूमि का पट्टा ना तो नवीनीकरण करवाया गया है और ना ही उक्त बकाया राशि जमा करवायी है। ऐसी स्थिति मे गैरनिगराकार बृजराज सिंह हाडा के नाम जारी पट्टा निरस्त किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित मे होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:38:48 IST
Reason: SelfAttested

6. निगरानी कानून मे निहित प्रावधान के तहत प्रस्तुत है इस कारण निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है।

7. यह कि पट्टा जारी उक्त पट्टा दिनांक 06.06.2011 नवीनीकरण दिनांक 21.03.2016 से ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा पंचायती राज जयपुर मे दस्तावेज क्रमांक 5005–10 दिनांक 18.11.2021 की पालना मे ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी पंचायत छीपाबडौद द्वारा दिनांक 24.11.2021 को मुख्यालय मे दस्तावेज प्रस्तुत करने तक का समय निगरानी मे मुजरा किये जाने पर निगरानी अवधि मध्य पेश है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि बृजराज सिंह हाडा पुत्र देवी सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ के नाम जारी आबादी भूमि पट्टा संख्या 5626 दिनांक 06.06.2011 व नवीनीकरण दिनांक 21.03.2016 की संकल्प संख्या 3 की अनुपालना मे दिनांक 11.04.2016 को गैरनिगराकार के नाम से आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 22 जारी किया गया जिसका माप 54 x 52 फुट है जिसको निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

गैरनिगराकार के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि मद नम्बर 1 निगरानी जिस प्रकार लिखी गयी है अस्वीकार है। गैरनिगराकार को ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा ग्राम पंचायत नियमों एवं पात्रता के अनुरूप उसके पुश्तैनी मकान माप 2880 वर्गफीट का पट्टा संख्या 5626 बुक संख्या 122 दिनांक 06.06.2011 जारी किया था। जिसे नवीनीकरण करवाने का गैरनिगराकार को पूर्ण हक व अधिकार प्राप्त है। मद नम्बर 2 निगरानी स्वीकार है। मद नम्बर 3 निगरानी मिथ्या एवं गलत तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार है। ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा पूर्ण जांच पडताल के बाद गैरनिगराकार को आबादी भूमि पट्टा संख्या 5626 दिनांक 06.06.2021 जारी किया था तथा उसका नवीनीकरण नियमों के अनुकूल किया गया था। मद नम्बर 4,5,6,7 निगरानी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है, मद नम्बर 8 निगरानी कानूनी है। मद नम्बर 9 निगरानी का जवाब वक्त बहस दिया जावेगा।

निगराकार द्वारा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो निरस्तनीय है। यह कि ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी द्वारा ग्राम पंचायत नियमों के अनुरूप पूर्ण जांच पडताल करने के बाद आबादी भूमि का पट्टा संख्या 5626 दिनांक 06.06.2021 जारी किया था तथा उसका नवीनीकरण दिनांक 21.03.2016 को नियमों के अनुकूल किया गया था जिसे निरस्त करने व निरस्त करवाने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नही है। इस कारण निगरानी काबिल निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:38:48 IST
Reason: SelfAttested

यह कि गैरनिगराकार ने अपने पुश्तैनी मकान माप 2808 वर्गफीट का पट्टा संख्या 5626 दिनांक 06.06.2011 ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी से प्राप्त किया था जिसका नवीनीकरण दिनांक 21.03.2016 को ग्राम पंचायत के नियमों के अनुकूल दिनांक 11.04.2016 को नवीनीकरण पट्टा जारी किया गया था तथा उक्त पट्टे को निरस्त करने व किसी भी प्रकार की राशि वसूल करने का ग्राम पंचायत को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति मे निगराकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्तनीय है। यह कि गैरनिगराकार ने उक्त मकान माप 2808 वर्गफीट मे से 34 x 25= 850 वर्गफीट मकान का एक रजिस्टर्ड दान पत्र

अपने पुत्र कृष्णवर्धन सिंह के पक्ष मे दिनांक 16.05.2016 को निष्पादित करवाकर उप पंजीयक हरनावदाशाहजी जिला बारॉ से तस्दीक करवा दिया है। दान किये मकान में कृष्णवर्धन सिंह बहैसियत मालिक काबिज है तथा शेष मकान मे गैरनिगराकार बहैसियत मालिक स्वामी काबिज है। यह कि निगराकारान की निगरानी स्वीकार कर गैरनिगराकार के विरूद्व किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया गया या पट्टा निरस्त किया गया तो गैर निगराकार को भारी असुविधा होगी एवं अन्य मुकदमेबाजी मे उलझना पडेगा एवं अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से संभव नही हो सकेगी। निगरानी निगराकारान सव्यय निरस्त फरमायी जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद से प्राप्त मूल रिकार्ड पट्टा विलेख, प्रस्ताव रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया।

परिणामस्वरूप निगराकार द्वारा गैरनिगराकार के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। गैरनिगराकार यदि निधि अंकेक्षण विभाग कोटा द्वारा ऑडिट रिपोर्ट मे निकाली गई वसूली राशि 1,80,800/– रूपये इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक से अन्दर एक माह (30 दिन) मे ग्राम पंचायत हरनावदाशाहजी मे जमा करवाई जाकर रसीद प्राप्त कर लेता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार बृजराज सिंह हाडा पुत्र देवी सिंह हाडा जाति राजपूत निवासी हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबडौद के नाम जारी पट्टा संख्या 5626 दिनांक 06.06.2011 माप 54 x 52 = 2808 वर्गगज यथावत रहेगा। यदि गैरनिगराकार द्वारा ऑडिट रिपोर्ट मे निकाली गई वसूली राशि उक्त अवधि मे जमा नही करवाई जाती है, तो ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगराकार के नाम जारी पट्टा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक **14.07.2022** को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:38:48 IST
Reason: SelfAttested